वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः पू०वि०वि० / सम्ब० / 2023 / 5806
दिनांक : 28/11/23

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय / संस्थान,
सम्बद्ध, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषय– जनपद के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत बनने वाले महाविद्यालय के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जौनपुर के पत्र संख्या–528 / जि०पं०जौ० / 2023–24, दिनांक–13.10.2023 जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, प्रयागराज, शनिवार, 21 मार्च, 2020 ई० के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालयों की मान्यता देने से पूर्व जिला पंचायत, जौनपुर से मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में मा० कुलपति जी के आदेश दिनांक 21.11.2023 के अनुपालन में निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में सत्र 2024–25 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर खोले जाने वाले महाविद्यालय / विषयों / पाठ्यक्रमों में अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्राप्त करने से पूर्व सम्बन्धित जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय में मान्यता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

भवदीय,

कुलसचिव
28/11/23

प्रतिलिपि– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–**

1. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के आदेश दिनांक 21.11.2023 के क्रम में संज्ञानार्थ।
2. डॉ० संजीव गंगवार को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की बेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव